I/34284/2023

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।
2. **समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,**
   हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर।
3. **समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,**
   (हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर को छोडकर)
   उत्तराखण्ड।

पत्रांकः— —— /उ0व0बोर्ड/914—वक्फ सर्वेक्षण/2023—24 दिनांक—02 सितम्बर, 2023

विषयः—प्रदेश में समस्त वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आदेश संख्या—525/XVII-B-1/2023—04(06)/2016 दिनांक—27 जुलाई, 2023 के द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा—4 व 5 के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) को प्राख्यापित किया गया है।

2— अतः शासन द्वारा प्राख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Syed Shiraz Usman
Date: 02-09-2023 16:45:03

(एस.एस. उस्मान)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

<u>पृष्ठांकन संख्याः— 655 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
2. समस्त मा. सदस्यगण, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
3. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. सहायक प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) की प्रति को विभागीय वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : /XVII-B-1/2023-04(06)/2016
देहरादून : दिनांक : जुलाई, 2023

वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित, 2013) की धारा–4 व 5 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 में सर्वेक्षण के विषय में दी गयी व्यवस्था निम्नवत है:–

धारा–4 औकाफ का प्रारम्भिक सर्वेक्षण :–

1. राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक औकाफ सर्वेक्षण आयुक्त एवं इतने अपर या सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त कर सकती है जिसमें औकाफ के सर्वेक्षण करने के लिए प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

   (1ए)प्रत्येक राज्य सरकार उपधारा 01 में निर्दिष्ट औकाफ की सूची अनुरक्षित करेगी एवं औकाफ का सर्वेक्षण वक्फ अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा, यदि ऐसा सर्वेक्षण वक्फ अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के पहले न किया गया हो;

   परन्तुक कि जहाँ कोई वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त नही किया गया है, वहाँ ऐसे प्रारम्भ की तिथि से तीन माह के भीतर औकाफ के सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया जायेगा।

2. औकाफ के सभी अपर एवं सहायक सर्वेक्षण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का सम्पादन, औकाफ सर्वेक्षण आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण के अधीन करेंगें।
3. सर्वेक्षण आयुक्त, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को राज्य में या उसके किसी भाग में विद्यमान औकाफ के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगें नामतः–
   (क) राज्य में औकाफ की संख्या शिया औकाफ एवं सुन्नी औकाफ को अलग–अलग दिखाते हुए;
   (ख) प्रत्येक वक्फ का स्वरूप एवं उदेश्य;
   (ग) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट सम्पत्ति की सकल आय;
   (घ) प्रत्येक वक्फ के सम्बन्ध में देय भू–राजस्व, उपकरों, दरों एव करों की रकम;
   (ङ) प्रत्येक वक्फ की आय की वसूली करने में किये गये खर्च एवं मुतवल्ली का वेतन एवं अन्य परिलब्धियॉं; और
   (च) प्रत्येक वक्फ के सम्बन्ध में ऐसे अन्य विवरण जैसा कि विहित किया जाए।
4. सर्वेक्षण आयुक्त के पास कोई निरीक्षण करते समय वही शक्तियां निहित होंगी जो सिविल न्यायालय के प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालयों में निम्नलिखित मामलों में निहित होगी है, नामतः–
   (क) किसी गवाह को समन करना एवं परीक्षि करना;
   (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
   (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की मांग करना;
   (घ) किसी गवाह या खातों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfare...

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अनुवेषण करना;

(च) ऐसे अन्य विषय जो निर्धारित किये जायें;

5. यदि, ऐसी किसी जांच के दौरान, इस विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि एक विशिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है एवं वक्फ के विलेख में उसके स्वरूप के स्पष्ट संकेत है, विवाद का विनिश्चय ऐसे विलेख के आधार पर होगा।

6. राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य में औकाफ सम्पत्तियों का द्वितीय या अनुवर्ती सर्वेक्षण करने के लिये निर्देश दे सकती है एवं उपधारा–2, 3, 4 एवं 5 के प्राविधान ऐसे सर्वेक्षण पर लागू होंगे जैसा कि व उपधारा 1 के अधीन निर्देशित सर्वेक्षण पर लागू होते है।

परन्तुक कि ऐसा कोई द्वितीय या अनुवर्ती सर्वेक्षण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस तिथि से जिस पर उपधारा 3 के अधीन ठीक पूर्ववर्ती सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, दस वर्ष की अवधि समाप्त नही हो जाती।

परन्तुक और कि पहले से अधिसूचित वक्फ सम्पत्तियां अनुवर्ती सर्वेक्षण में पुनः पुनरीक्षित नहीं की जायेगी सिवाय इसके किसी विधि के प्राविधानों के अनुरूप में ऐसी सम्पत्ति की सही स्थिति परिवर्तित कर दी गई है।

धारा–5 औकाफ की सूची का प्रकाशन–

1. धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की प्राप्ति पर राज्य सरकार उसके प्रति बोर्ड को अग्रेषित करेगी।
2. बोर्ड उपधारा (1) के अधीन उसे अग्रेषित किये गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा एवं शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन के लिये छः माह के भीतर सरकार को वापस अग्रेषित करेगा। राज्य में सुन्नी वक्फ या शिया औकाफ की सूची, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अस्तित्व में हो या अस्तित्व में आने के पश्चात् जिससे यह प्रतिवेदन सम्बन्धित है उसमें ऐसे विवरण सम्मिलित हो, जैसा कि निर्धारित हो।
3. **राजस्व प्राधिकारी–**
   1. भू–अभिलेखों को अध्यतन करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट औकाफ की सूची सम्मिलित करेंगे, और
   2. भू–अभिलेखों में दाखिल खारिज का विनिश्चिय करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट औकाफ की सूची को ध्यान में रखेंगे।
4. राज्य सरकार उपधारा 2 के अधीन समय समय पर प्रकाशित सूचियों का अभिलेख अनुरक्षित करेगी।

अतः उपरोक्त धारा 4 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में कार्यवाही व निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु सात चरणों की कार्ययोजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

(A)चरणबद्ध कार्यवाहियां:–

प्रथम चरण	नियुक्तियां	1. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–4 के अधीन शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–384(1)/XVI(3)/2016, दिनांक–30 मई, 2016 द्वारा निम्नानुसार सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु दायित्व निर्धारित किये गये है। **वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त** – सचिव राजस्व **पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त** – समस्त जिलाधिकारी **पदेन सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त** – जिला नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityW...

देहरादून के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य 09 जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी नामित किये गये है।

अतिरिक्त नियुक्तियां—जो कि अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा की जायेंगी।

1. **वक्फ सर्वेक्षणों की नियुक्ति**—ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड हेतु पर्याप्त संख्या में वक्फ सर्वेक्षक की नियुक्ति ऐसे सेवानिवृत कर्मचारियों में से की जायेगी जिन्होंने पूर्व में राजस्व विभाग या पंचायतीराज विभाग/ग्राम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग में अपने नियमित सेवाकाल में न्यूनतम पांच वर्ष लेखपाल/पटवारी अथवा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के पद कार्य सम्पादित किया हो।

    ऐसे वक्फ सर्वेक्षकों की नियुक्ति के समय वक्फ अधिनियम, मुस्लिम रीति एवं धार्मिक प्रचलन तथा उर्दू भाषा का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी जिससे की अभिलेखों एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण तत्परता से किया जा सके। उपरोक्तानुसार उचित संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में नियुक्तियां राजस्व विभाग या पंचायतीराज विभाग/ग्राम विकास विभाग तथा अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में से की जा सकेगी।

2. **वक्फ सर्वेक्षण पर्यवेक्षक की नियुक्ति**—सर्वेक्षकों के कार्यों का अनुश्रवण करने तथा ससमय रिर्पोट का संकलन एवं परीक्षण करने हेतु प्रत्येक 10 सर्वेक्षकों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति या आवश्यकतानुसार जैसा कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाय, की जा सकती है।

    ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड हेतु पर्याप्त संख्या में वक्फ सर्वेक्षण पर्यवेक्षक की नियुक्ति ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से की जायेगी, जिन्होने पूर्व में राजस्व विभाग या पंचायतीराज विभाग/ग्राम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग में अपने नियमित सेवाकाल में न्यूनतम 10 वर्ष लेखपाल/पटवारी अथवा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादित किया हो।

    ऐसे वक्फ सर्वेक्षण पर्यवेक्षक की नियुक्ति के समय वक्फ अधिनियम, मुस्लिम रीति एवं धार्मिक प्रचलन तथा उर्दू भाषा का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी जिससे की अभिलेखों एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण तत्परता से किया जा सके। उपरोक्तानुसार उचित संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में नियुक्तियां राजस्व विभाग या पंचायतीराज विभाग/ग्राम विकास विभाग तथा अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से की जा सकेगी।

3. वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति—वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रत्येक तहसील हेतु एक वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी तथा समस्त सर्वेक्षण अधिकारी वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में सुनिश्चित की जायेगी।

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE), Minority Welfare...

		वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों में से की जायेगी जिन्होंने सेवानिवृत्त के समय अपने नियमित सेवाकाल में न्यूनतम 02 वर्ष तहसीलदार या उच्चतर पद पर रहते हुए राजस्व विभाग में कार्य किया हो। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के समय वक्फ अधिनियम, मुस्लिम रीति एवं धार्मिक प्रचलन तथा उर्दू भाषा का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी जिससे की अभिलेखों एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण तत्परता से किया जा सके। उपरोक्तानुसार उचित संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में नियुक्तियां राजस्व विभाग या अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से की जा सकेगी।
द्वितीय चरण	प्रशिक्षण	आयुक्त के निर्देशानुसार वक्फ सर्वे से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों के लिये एक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान (शासन द्वारा अधिसूचित/बोर्ड में पंजीकृत) वक्फ सम्पत्तियों का विवरण समस्त वक्फ सर्वेक्षण अधिकारियों को आवंटित कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
तृतीय चरण	खुली बैठक/सूचनाओं का संकलन/आपत्तियों का आमंत्रण	प्रत्येक शहरी वार्ड/ग्राम पंचायत में खुली बैठक आयोजित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर रोस्टर तैयार किया जायेगा तथा निर्धारित रोस्टर के प्राख्यापन के उपरान्त नियत तिथि/स्थान/समय पर प्रत्येक वक्फ सर्वेक्षक अपने आवंटित कार्यक्षेत्र मे बैठक आयोजित करेंगे। बैठक में क्षेत्र में स्थित मस्जिद, ईदगाह, इमामबाडा, दरगाह, खानक़ाह, पीरखाना, करबला, मकबरा, मदरसा, कब्रिस्तान या किसी अन्य स्थल जिसमें इबादत करना या कोई धार्मिक कृत्य जो मुस्लिम विधि या अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्त माना गया हो या किसी के द्वारा उक्त कार्य के लिये कोई चल/अचल सम्पत्ति दान दी गई हो, की समस्त सूचनायें सर्वे **प्रपत्र–क** पर अंकित करेगा। वक्फ सर्वेक्षक मौके पर सम्पत्ति के फोटो/जी.आई.एस. निर्देशांक/सत्यापित नजरी–नक्शा सहित सर्वे पत्रावली का भाग बनायेगा। उपरोक्त संस्थाओं का प्रबन्ध कर रही समितियों/संस्थाओं/व्यक्तियों की सूची, बयानों का संकलन करेगा। सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों खाता खतौनी सम्बन्धित राजस्व कार्यालय से प्राप्त कर अपनी जांचाख्या सहित प्रत्येक वक्फ की भिन्न पत्रावली में वक्फ पर्यवेक्षक को प्रेषित करेगा। वक्फ सर्वेक्षक वक्फ सम्पत्तियों का विवरण/जानकारी राजस्व रिकार्ड/ग्राम प्रधान/नगर पंचायत/नगर पालिका/वार्ड सदस्य आदि से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।
चतुर्थ चरण	आपत्तियों पर सुनवाई/मौका मुआयना व आदेश	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–4(4) में सर्वेक्षण आयुक्त को प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियां– (क) किसी गवाह को समन करना एवं परीक्षित करना, (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना, (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अभिलेख की मांग करना, (घ) किसी गवाह या खातों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना, (ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करना, (च) ऐसे अन्य विषय जो निर्धारित किये जाय।

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection

		एवं धारा–4(5)– यदि, ऐसी किसी जांच के दौरान, इस विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि एक विशिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है एवं वक्फ के विलेख में उसके स्वरूप के स्पष्ट संकेत है, विवाद का विनिश्चिय ऐसी विलेख के आधार पर होगा। **(वक्फ अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में दी गई व्यवस्थानुसार सर्वे का कार्य तीर्व गति से कराने के उद्देश्य से सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा जिला स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रतिनिधायन किया जाना उचित होगा यदि वह उचित समझे तो उपरोक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त को करने पर विचार कर सकते है)** यदि किसी सम्पत्ति को वक्फ घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कोई विवाद है अर्थात प्रबन्ध समिति/मुतवल्ली/व्यक्ति/संस्था सम्पत्ति को वक्फ मानने से इंकार करे तो अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वे पत्रावली प्राप्त होने पर सम्बन्धित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई के उपरान्त विस्तृत सकारण आदेश (Detailed Speaking Order) पारित किया जायेगा।
पंचम चरण	हदबन्दी	अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त द्वारा वक्फ सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी आदेश के प्रकाश में सम्बन्धित वक्फ सम्पत्ति की हदबन्दी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व कार्मिकों द्वारा कराई जायेगी।
षष्टम चरण	आयुक्त स्तर पर कार्यवाही	अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त समस्त सर्वेक्षण पत्रावलियों पर आदेश के उपरान्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत पत्रावलियों की एक प्रति बोर्ड को प्रेषित करेगा। बोर्ड पत्रावलियों में अंकित प्रतिवेदन का धारा 5(2) के अन्तर्गत परीक्षण कर गजट प्रकाशन हेतु अंतिम सूची सर्वेक्षण आयुक्त को वापस भेजेगा।
अंतिम चरण	राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट	सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रेषित औकाफों की सूची का प्रकाशन **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड वक्फ नियम, 2017** के नियम संख्या–6 के तहत निर्धारित फार्म संख्या–1 के अनुसार राजकीय गजट में करेगा एवं इसकी एक प्रति समस्त राजस्व संस्थाओं को प्रेषित करेगा। राजस्व संस्थायें गजट में प्रकाशित वक्फ सम्पत्तियों का दाखिल–खारिज अपने अभिलेखों में कर इसकी एक प्रति बोर्ड को प्रेषित करेंगी।

(B) उपरोक्त समस्त कार्यवाहियां एक वर्ष के भीतर पूर्ण की जानी है अतः इस हेतु एक समय सारणी तैयार की गई है–

चरण	कार्यवाहियां माह	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1st	नियुक्तियां												
2nd	प्रशिक्षण												
3rd	खुली बैठक/सूचनाओं का संकलन/आपत्तियों का आमंत्रण												
4th	आपत्तियों पर सुनवाई/मौका मुआयना/आदेश												
5th	हदबन्दी												

6th	आयुक्त स्तर पर कार्यवाही												
अंतिम	राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट एवं वक्फ सूची का गजट प्रकाशन												

(C) कार्यक्षेत्रः–

क्र.सं.	पदाधिकारी	कार्य विवरण
1	वक्फ सर्वेक्षक	1. प्रत्येक शहरी वार्ड/ग्राम पंचायत में निर्धारित रोस्टर के प्राख्यापन के उपरान्त नियत तिथि/स्थान/समय पर प्रत्येक वक्फ सर्वेक्षक अपने आवंटित कार्यक्षेत्र में बैठक आयोजित करेंगे। 2. बैठक में क्षेत्र में स्थित मस्जिद, ईदगाह, इमामबाडा, दरगाह, खानकाह, पीरखाना, करबला, मकबरा, मदरसा, कब्रिस्तान या किसी अन्य स्थल जिसमें इबादत करना या कोई धार्मिक कृत्य जो मुस्लिम विधि द्वारा पूर्त माना गया हो या किसी के द्वारा उक्त कार्य के लिये कोई चल/अचल सम्पत्ति दान दी गयी हो, की समस्त सूचनायें सर्वे प्रपत्र पर पूर्ण रूप से अंकित करेगा। 3. वक्फ सर्वेक्षक मौके पर सम्पत्ति के फोटो/जी.आई.एस. निर्देशांक/नजरी–नक्शा हस्ताक्षरित सहित सर्वे पत्रावली का भाग बनायेगा। 4. इसके उपरान्त सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बंधी दस्तावेजों खाता–खतौनी, नजरी–नक्शा इत्यादि सम्बन्धित राजस्व कार्यालय से प्राप्त कर अपनी जांचाख्या सहित प्रत्येक वक्फ की भिन्न पत्रावली में वक्फ पर्यवेक्षक को प्रेषित करेगा। 5. वक्फ सर्वेक्षक वक्फ सम्पत्तियों का विवरण/जानकारी राजस्व रिकार्ड/ग्राम प्रधान/नगर पंचायत/नगर पालिका/वार्ड सदस्य आदि से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। 6. अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक पंजीकृत/अपंजीकृत वक्फों की सूचनायें प्रस्तावित सर्वेक्षण प्रपत्र को पूर्णतः भरना। 7. प्रबन्धन अथवा अन्य व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध करना। 8. अपनी आख्या, संस्तुति, खाता–खतौनी, नजरी–नक्शा की प्रति सहित पत्रावली पर वक्फ सर्वेक्षण पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराना।
2	वक्फ सर्वेक्षण पर्यवेक्षक	1. अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वक्फ सर्वेक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण करना। 2. सवेक्षण पत्रावलियों को अपनी टिप्पणी सहित वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु जमा करना।
3	वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी	1. सर्वेक्षण कार्य को समय भीतर पूर्ण कराये जाने हेतु अधीनस्थों को समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करना। 2. सर्वे पत्रावलियों का अवलोकन कर अपनी अभियुक्ति/टिप्पणी सहित सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को उपलब्ध करायेगा।
4	सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त	1. सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण में अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को सहयोग प्रदान करेगा। 2. सर्वेक्षण कार्यवाहियों में होने वाले व्ययों का वित्तीय प्रबन्धन करेगा। 3. सर्वेक्षण के वादों की सुनवाई एवं आदेश मे अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को सहयोग प्रदान करेगा। 4. समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर रिपोर्ट वक्फ आयुक्त कार्यालय

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare...

		प्रेषित की जायेगी।
5	अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त	1. अधिनियम की धारा–4 एवं 5 की कार्यवाही करना। 2. नियमावली के नियम संख्या–5 के तहत आदेश जारी करना। 3. विस्तृत सकारण आदेश (Detailed Speaking Order) के उपरान्त पत्रावलियों का प्रेषण वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को करना।
6	वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त	1. समस्त कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करना। 2. अधिनियम की धारा–4 एवं 5 के अन्तर्गत सर्वेक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना।

अन्य कार्यवाहियां–

1. अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत वक्फ सर्वेक्षण की कार्यवाही में आने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
2. यदि वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त उचित समझे तो आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण कार्य में सहयोग हेतु वाह्य स्रोत से तकनीकी सहायता या अन्य प्रकार का सहयोग भी प्राप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है।
3. वक्फ सर्वेक्षकों को उनके कार्य के अनुरूप मानदेय की भी व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है।
4. चूंकि वक्फ सर्वेक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एक रिट याचिका संख्या–1430/2019 रऊफ रहीम एवं अन्य बनाम यूनियन संघ ऑफ भारत सरकार योजित की गई है, जिसमें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण करने के लिये भी अतिरिक्त समय की मांग की गई है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित एस.ओ.पी. के अनुरूप वक्फ सर्वेक्षण का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

Signed by L Fanai
Date: 27-07-2023 14:50:39
(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 525 ( )/XVII-B-1/2023–04(06)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, राजस्व विभाग/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वक्फ बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंहनगर।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।
13. गार्ड फाईल।

Signed by Kavindra Singh
Date: 27-07-2023 15:31:20
(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

141475/2023

प्रारूप–क

वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का प्राफार्मा (निदर्श)

☐ अपंजीकृत ☐ पंजीकृत

वक्फ संख्या–............................जिला....................................एवं सम्पत्ति आई. डी...............................

1. नाम जिला....................................तहसील..............................
ग्राम/मौहल्ला/वार्ड...।
2. वक्फ का प्रकार– ☐ सुन्नी ☐ शिया
3. पत्रावली/वाद संख्या–..
4. वक्फ का नाम और स्थिति (पता)..
....
5. वाकिफ का नाम व पता (यदि हो)...
....
6. वक्फ के उदगम की तिथि/वर्ष..
7. वक्फनामे का ब्यौरा तथा विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि हो)......................................
....
8. वक्फ की प्रकृति ☐ अलल औलाद ☐ अलल खैर
9. वक्फ का उद्देश्य तथा प्रयोजन..
....
10. वक्फ प्रबन्धन का विवरण–रिवाज/स्कीम ऑफ मेंनेजमेंट द्वारा कोर्ट/बोर्ड/वक्फनामे के अनुरूप

1	मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का नाम		पिता का नाम	
	आधार संख्या		मोबाईल नं0	
	पूर्ण पता			
2	सचिव का नाम		पिता का नाम	
	आधार संख्या		मोबाईल नं0	
	पूर्ण पता			
3	पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम	आधार संख्या	मोबाईल नं0	पता
4				
5				
6				
7				
8				

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER...

9				
10				

नोट—यदि सदस्यों की संख्या अधिक है, तो उपरोक्तानुसार सूची संलग्न की जा सकती है।

11. सम्पत्ति का विवरण—मस्जिद / मदरसा / कब्रिस्तान / दरगाह / मजार / दुकान / मकान / कृषिभूमि / आराजी / बाग—बगीचा / इमामबाडा / करबला / तकिया / मकतब / स्कूल / मुसाफिरखाना / खानकाह

1	खाता / खसरा / दुकान संख्या / मकान संख्या / अन्य सम्पत्ति संख्या		
2	चौहद्दी	पूरब	
		पश्चिम	
		उत्तर	
		दक्षिण	
3	कुल एरिया / रकबा		
4	वर्तमान स्थिति	कब्जा मुक्त / अतिक्रमित / वाद—विवादित / अवैध विक्रय का पूर्ण विवरण सहित..	
5	किरायेदार का विवरण— नाम / पता किरायेदारी आरम्भ की तिथि, वर्तमान किराया, अनुबन्धनामा यदि कोई हो तो		
6	अतिक्रमण की स्थिति में, अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूर्ण पता कब्जायुक्त सम्पत्ति का विवरण चौहद्दी सहित नवीनतम फोटोग्राफ		
7	अवैध क्रय—विक्रय के सम्बन्ध में पंजीकृत विक्रय विलेख का विवरण।		
8	आय का स्रोत	कृषि आय / किराया / वार्षिक ठेका / चन्दा / गोलक / जमा पर अर्जित ब्याज / अन्य..	
9	सम्पत्ति का मूल्यांकन सर्किल दरों के आधार पर		
10	सम्पत्ति से प्राप्त वार्षिक सकल आय		

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection CM SECTION ...

11	ग्रहकर/भूमिकर अथवा अन्य कोई सरकारी अदायगी	
12	सम्पत्ति जहां स्थित है, उस स्थान के जी.पी.एस. निर्देशांक–	
13	आय की वसूली करने में किये गये खर्च का विवरण एवं मुतवल्ली का वेतन एवं अन्य परिलब्धियां	
14	कुल निर्मित एरिया	
15	चाहरदीवारी का विवरण, यदि कराई जानी है, तो औचित्य	

12. वक्फ की पहचान हेतु–

क्र.सं.	पहचान बिन्दु	विवरण
1	प्रसिद्ध लैंडमार्क	
2	निकटतम बाजार से दूरी	
3	निकटतम बैंक (निजी या सरकारी)	
4	निकटतम चिकित्सालय (जन स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय आयुर्वेदिक/ युनानी)	
5	निकटतम सरकार स्कूल (प्राथमिक/उच्च माध्यमिक/ इण्टरमीडिएट)	

13. अभियुक्ति–..

....

....

....

....

....

....

संलग्न–आख्या/नकल खतौनी/खसरा/शजरा/नवीनतम फोटोग्राफ/साईटप्लान

वक्फ सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

सर्वेक्षण पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

वक्फ सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)...

फार्म–1

औकाफ की सूची का विवरण

1	जनपद		
2	ग्राम/मौहल्ला/वार्ड–	तहसील	
3	वक्फ का प्रकार– ☐ सुन्नी ☐ शिया		
4	वक्फ का नाम और स्थिति		
5	वाकिफ का नाम व पता (यदि हो)		
6	वक्फनामे का ब्यौरा तथा विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि हो)		
7	वक्फ की प्रकृति ☐ अलल खैर ☐ अलल–औलाद		
8	वक्फ का उद्देश्य तथा प्रयोजन–		
9	सम्पत्ति का विवरण–		
10	खाता/खसरा/दुकान संख्या/मकान संख्या/अन्य सम्पत्ति संख्या–		
11	चौहद्दी	पूरब	
		पश्चिम	
		उत्तर	
		दक्षिण	
12	कुल रकबा		
13	वर्तमान स्थिति कब्जा मुक्त/ अतिक्रमित/वाद–विवादित / अवैध विक्रय पूर्ण विवरण सहित		
14	आय का स्रोत		
15	सम्पत्ति का वर्तमान अनुमानित मूल्य सर्किल दरों के आधार पर		
16	सम्पत्ति से प्राप्त वार्षिक आय का विवरण		
17	गृहकर/भूमिकर अन्य कोई सरकारी अदायगी		
18	वक्फ की कुल वार्षिक सकल आय		
19	आय की वसूली करने में किये गये खर्च का विवरण एवं मुतवल्ली का वेतन एवं अन्य परिलब्धियां		

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECT...

I/141471/2023

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Minority Welfare Section

No. 525 /XVII-B-1/2023-04(06)/2016

Dehradun Dated 27 july, 2023

Standard Operating Procedure for Survey of Waqf Properties under Sections 4 and 5 of the Waqf Act, 1995 (as amended, 2013)

The arrangement given regarding the survey in the Waqf Act 1995 as amended in 2013 is as follows:-

Section-4 Preliminary survey of Auqaf :-

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint for the State a Survey Commissioner of Auqaf and as many Additional or Assistant Survey Commissioners of Auqaf as may be necessary for the purpose of making a survey of [auqaf in the State] at the date of the commencement of this Act.

(1A) Every State Government shall maintain a list of auqaf referred to in sub-section (1) and the survey of auqaf shall be completed within a period of one year from the date of commencement of the Wakf (Amendment) Act, 2013, in case such survey was not done before the commencement of the Wakf (Amendment) Act, 2013:

Provided that where no Survey Commissioner of Waqf has been appointed, a Survey Commissioner for auqaf shall be appointed within three months from the date of such commencement.

(2) All Additional and Assistant Survey Commissioner of Auqaf shall perform their functions under this Act under the general supervision and control of the Survey Commissioner of Auqaf.

(3) The Survey Commissioner shall, after making such inquiry as he may consider necessary, submit his report, in respect of auqaf existing at the date of the commencement of this Act in the State or any part thereof, to the State Government containing the following particulars, namely:—

- *(a) the number of auqaf in the State showing the Shia auqaf and Sunni auqaf separately;*
- *(b) the nature and objects of each (waqf);*
- *(c) the gross income of the property comprised in each (waqf);*
- *(d) the amount of land revenue, cesses, rates and taxes payable in respect of each (waqf);*
- *(e) the expenses incurred in the realisation of the income and the pay or other remuneration of the mutawalli of each (waqf); and*
- *(f) such other particulars relating to each (waqf) as may be prescribed.*

(4) The Survey Commissioner shall, while making any inquiry, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

- *(a) summoning and examining any witness;*
- *(b) requiring the discovery and production of any document;*
- *(c) requisitioning any public record from any court or office;*
- *(d) issuing commissions for the examination of any witness or accounts;*
- *(e) making any local inspection or local investigation;*
- *(f) such other matters as may be prescribed*

(5) *If, during any such inquiry, any dispute arises as to whether a particular waqf is a Shia waqf or Sunni waqf and there are clear indications in the deed of waqf as to its nature, the dispute shall be decided on the basis of such deed.*

(6) *The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct the Survey Commissioner to make a second or subsequent survey of waqf properties in the State and the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) shall apply to such survey as they apply to a survey directed under sub-section (1):*

Provided that no such second or subsequent survey shall be made until the expiry of a period of [ten years] from the date on which the report in relation to the immediately previous survey was submitted under sub-section (3):

Provided further that the waqf properties already notified shall not be reviewed again in subsequent survey except where the status of such property has been changed in accordance with the provisions of any law.

Section 5. Publication of list of auqaf.—

(1) *On receipt of a report under sub-section (3) of section 4, the State Government shall forward a copy of the same to the Board.*

(2) *The Board shall examine the report forwarded to it under sub-section (1) and 5 [fordward it back to the Government within a period of six months for publication in the Official Gazette] a list of Sunni auqaf or Shia auqaf in the State, whether in existence at the commencement of this Act or coming into existence thereafter, to which the report relates, and containing such other particulars as may be prescribed.*

(3) *The revenue authorities shall—*

(i) *include the list of auqaf referred to in sub-section (2), while updating the land records; and*

(ii) *take into consideration the list of auqaf referred to in sub-section (2), while deciding mutation in the land records.*

(4) *The State Government shall maintain a record of the lists published under sub-section (2) from time to time.*

Therefore, in accordance with the provisions given in section 4 above, a seven-stage action plan is being submitted for approval to take action and complete it within the stipulated time frame.

(A) Phased Actions:-

First round	**Appointments**	1. Under Section-4 of the Waqf Act, 1995, the Government has fixed the responsibility for completing the survey proceedings as follows, vide notification number-384(1)/XVI(3)/2016, dated 30th May, 2016. **Waqf Survey Commissioner** - *Secretary Revenue* **Ex-officio Additional Survey Waqf Commissioner** - *All District Magistrates* **Ex-officio Assistant Survey Waqf Commissioner**- *District Minorities Welfare Officers of District Nainital, Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun and District Social Welfare Officers of 09 other districts have been nominated.* **Additional appointments-** Which shall be made by the Additional Waqf Survey Commissioner. 1. **Appointment of Waqf Surveys-** Adequate number of Waqf Surveyors for Gram Panchayat/Urban Ward will be appointed from amongst such retired employees who have previously served in the Revenue Department or Panchayati

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

		Raj Department/ Rural Development Department/Urban Development Department for at least five years during their regular service as Lekhpal/ Patwari or Gram Panchayat. Should have executed the post of Development Officer/Village Development Officer. At the time of appointment of such Waqf surveyors, preference will be given to officers having knowledge of Waqf Act, Muslim customs and religious practice and Urdu language so that records and documents presented for evidence can be examined promptly. In the event of non-availability of suitable number of candidates as above, appointments can be made from amongst the employees working in Revenue Department or Panchayati Raj Department/ Rural Development Department and other government departments. 2. **Appointment of Waqf Survey Supervisor-** One supervisor may be appointed for every 10 surveyors to monitor the work of the surveyors and to compile and examine the reports at the time, or as per the requirement as may be determined by the survey commissioner. A dequate number of Waqf Survey Supervisors for Gram Panchayat/Urban Ward will be appointed from amongst such retired employees who have previously served in the Revenue Department or Panchayati Raj Department/Village Development Department/Urban Development Department for at least 10 years during their regular service as Lekhpal/Patwari or Village Should have done work on the post of Panchayat Development Officer/Village Development Officer. At the time of appointment of such Waqf Survey Supervisor, preference will be given to officers having knowledge of Waqf Act, Muslim customs and religious practice and Urdu language so that the records and documents presented for evidence can be examined promptly. In the event of non-availability of suitable number of candidates as above, appointments can be made from employees working in Revenue Department or Panchayati Raj Department/Rural Development Department and other government departments. 3. Appointment of Waqf Survey Officer- A Waqf Survey Officer will be appointed for each tehsil by the Waqf Survey Commissioner and all the survey officers will be ensured under the supervision of the Waqf Survey Officer. Waqf Survey Officer will be appointed from amongst such retired officers who have worked in the Revenue Department for a minimum of 02 years in their regular service at the time of retirement, in the post of Tehsildar or higher. At the time of appointment of such officers, preference will be given to officers having knowledge of Waqf Act, Muslim customs and religious practice and Urdu language so that the documents presented for records and evidence can be examined promptly. In the event of non-availability of suitable number of candidates as above, appointments can be made from the employees working in Revenue Department or other Government Departments.
Second stage	**Training**	As per the instructions of the Commissioner, a training will be organized for all the personnel related to Waqf Survey. During the training (notified by the government/registered with the board), the details of Waqf properties will be made available to all the Waqf Survey

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

		Officers according to the allotted area.
Third stage	**Open Meeting / Compilation of Information / Invitation of Objections**	A roster will be prepared at the district level for holding open meetings in each urban ward/gram panchayat and after the promulgation of the prescribed roster, every Waqf surveyor will organize a meeting in his allotted area on the appointed date/place/time. The meeting shall be attended by the mosque, Idgah, Imambada, Dargah, Khanqah, Peerkhana, Karbala, Maqbara, Madrasa, graveyard or any other place situated in the area in which to offer prayers or any religious act which is considered to be charitable by Muslim law or by anyone for the said work. All the information about whether any movable/immovable property has been donated will be recorded on the Survey **Form-A**. Waqf Surveyor on the spot the photo/GIS of the property. Will form part of survey paper with coordinates/verified sight-map. The list of committees/institutions/persons managing the above institutions will compile the statements. The documents related to the ownership of the property, Khatauni will receive from the concerned Revenue Office and send it to the Waqf Supervisor in a separate file of each Waqf along with its check numbers. Waqf surveyor will ensure to get the details/information of Waqf properties from revenue record/village head/Nagar Panchayat/Municipality/Ward member etc.
Fourth stage	**Hearing on objections / spot inspection and order**	Powers of Civil Court conferred on Survey Commissioner in section 4(4) of the Waqf Act, 1995 (as amended, 2013)— (a) summoning and examining any witness, (b) requiring the discovery and production of any document, (c) to requisition any public record in any court or office, (d) to issue a commission for the examination of any witness or accounts, (e) to make any local inspection or local investigation, (f) such other matters as may be prescribed. and section-4(5)- If, in the course of any such inquiry, a dispute arises as to whether a particular waqf is a Shia waqf or a Sunni waqf and there is a clear indication of its nature in the deed of the waqf, the dispute shall be decided on the basis of such deed. **(As per the provision given in sub-section 2 of Section 4 of the Waqf Act, it would be appropriate for the Survey Commissioner to delegate his powers at the district level for the purpose of getting the survey work done expeditiously. may consider doing)** If there is any dispute regarding the declaration of any property as Waqf, that is, the Management Committee/ Mutwalli/person/institution refuses to recognize the property as Waqf, then on receipt of the survey paper by the Additional Waqf Survey Commissioner, after issuing a notice to the parties concerned, after hearing A detailed cause order will be passed.
Fifth step	**Limit**	In the light of the order to ensure waqf by the Additional Survey Waqf Commissioner, the demarcation of the concerned Waqf property will be done by the revenue personnel through the concerned Deputy District Magistrate.
Sixth Stage	**Action at**	The Additional Survey Waqf Commissioner will be sent

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

	Commissioner level	to the Waqf Survey Commissioner after the order on all the survey papers. The Waqf Survey Commissioner shall send a copy of the files under section 5(1) of the Waqf Act to the Board. The Board will examine the report in the files under section 5(2) and send the final list back to the Survey Commissioner for publication in the Gazette.
Last Stage	**Final Report to the State Government**	Publication of the list of Auqafs sent by the Board under Section 5(2) of the Survey Commissioner Waqf Act in the State Gazette as per prescribed Form No.-1 under Rule No.-6 of the Uttarakhand Waqf Rules, 2017 notified by the Minorities Welfare Department, Government of Uttarakhand. and send a copy of it to all the revenue institutions. The Revenue Institutions shall submit a copy of the Waqf properties published in the Gazette to the Board after filing-rejection in their records.

(B) All the above proceedings are to be completed within one year, so a time table has been prepared for this-

Stage	Proceedings month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1st	**Appointments**												
2nd	**Training**												
3rd	**Open Meeting / Compilation of Information / Invitation of Objections**												
4th	**Objections hearing /spot inspection / order**												
5th	**Limit**												
6th	**Action at Commissioner level**												
Last	**Gazette publication of final report and waqf list to the state government**												

(C) Scope:-

S.No.	Officer	Job description
1	Waqf Surveyor	1. After the promulgation of the prescribed roster in each urban ward/gram panchayat, every Waqf surveyor will hold a meeting in his allotted area on the appointed date/place/time. 2. The meeting shall be attended by the mosque, Idgah, Imambada, Dargah, Khanqah, Peerkhana, Karbala, Maqbara, Madrasa, graveyard or any other place situated in the area in which to offer prayers or any religious act which is considered to be charitable by Muslim law or by anyone for the said work. All the information about whether any movable/immovable property has been donated will be mentioned completely on the survey form. 3. Waqf Surveyor on the spot the photo/GIS of the property. The coordinates/sight-map will form part of the survey paper along with the signature. 4. After this, after obtaining the documents related to the ownership of the property, Khata-Khatauni, Nazar-Naksha etc. will be sent to the Waqf Supervisor in a separate letter of each Waqf along with his check numbers. 5. Waqf surveyor will ensure to get the details/information of Waqf properties from revenue record/village head/Nagar Panchayat/Municipality/Ward member etc.

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

		6. Completely fill up the proposed survey form with the information of each registered/unregistered waqfs located in the areas falling under its jurisdiction. 7. To record statements of management or other persons. 8. To make available to the Waqf Survey Supervisor on the letter along with a copy of its report, recommendation, account-khatauni, vision-map.
2	Waqf Survey Supervisor	1. To supervise the work of all Waqf Surveyors under his jurisdiction. 2. Submit the survey files with their comments before the Waqf Survey Officer and submit them for further action.
3	Waqf survey officer	1. To issue guidelines from time to time to the subordinates to complete the survey work within time. 2. After perusing the survey files, he will make available to the Assistant Waqf Survey Commissioner along with his remarks/remarks.
4	Assistant Survey Waqf Commissioner	1. The Assistant Waqf Survey Commissioner will assist the Additional Waqf Survey Commissioner in the appointment, training of the above officer/employee. 2. Will financially manage the expenses incurred in the survey proceedings. 3. The Additional Waqf will assist the Survey Commissioner in hearing and ordering the survey claims. 4. On completion of all the proceedings, the report will be sent to the Waqf Commissioner's office.
5	Additional Waqf Survey Commissioner	1. To take action of section 4 and 5 of the Act. 2. Issuance of orders under Rule No.5 of the Rules. 3. To send the files to the Waqf Survey Commissioner after the detailed reasoning order (compassionately matched fifteen persons).
6	Waqf survey Commissioner	1. To supervise all the proceedings. 2. To complete the entire process of survey in a time bound manner under Section 4 and 5 of the Act.

Other proceedings-

1. Under Section 8 of the Act, all the expenditure incurred in the proceedings of Waqf Survey will be borne by the State Government.
2. If the Waqf Survey Commissioner thinks it appropriate, it can also be considered to get technical assistance or other kind of cooperation from outside sources for cooperation in survey work as per the requirement.
3. It may also be considered to arrange honorarium to Waqf surveyors according to their work.
4. Since a writ petition number-1430/2019 Rauf Rahim and others vs Union Union of India has been organized in respect of Waqf survey in Hon'ble Supreme Court, New Delhi, in which the Government of Uttarakhand has also been asked to complete the survey work. Time has been demanded, in such a situation the proposed SOP. Accordingly, it is very important to get the work of Waqf survey done.

Signed by L Fanai
Date: 27-07-2023 14:48:47

(L. Fanai)
Principal Secretary

No. 525 ( )XVII-B-1/2023-04(06)/2016

Copy:-

1- P.S to hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand, Dehradun.
2- P.S to hon'ble Chiarman, Uttarakhand Waqf Board, Dehradun.
3- Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.
4- Secretary, Revenue/ Waqf Survey commissinor, Government of Uttarakhand.
5- Commissinor, Garhwal, pauri/ kumaun, Nainital.
6- All District Magistrate, Uttarakhand
7- Director, Minority Welfare, Uttarakhand.
8- Commissinor & Secretary, Revenue Board, Uttarakhand, Dehradun.
9- CEO, Uttarakhand Waqf Board, Dehradun.
10- District Minority Welfare officer, Dehradun, Haridwar Nainital & US Nagar.
11- All District Social Welfare officer, Uttarakhand.
12- Government Press, Roorkee.
13- Guard File.

Signed by Kavindra Singh
Date: 27-07-2023 16:48:53

(Kavindra Singh)
Joint Secretary

Form-A

Format for Survey of Waqf Properties (model)

☐ Unregistered ☐ Registered

Waqf No.........................District................................and Property Id..........................

1. Name of District...................... Tahsil....................Village / Mohalla / Ward...
2. Type of Waqf - ☐ Sunni ☐ Shia
3. File/Cause No.- ....
4. Name and Status (Address) of Waqf...
5. Name and address of the apprentice (if any) ....
6. Date/Year of Origin of Waqf- ....
7. Details of the waqfnama and certified copy of the deed (if any). ....
8. Nature of Waqf ☐ Al al Aulad ☐ Al Al- khair
9. Purpose and Purpose of Waqf
10. Details of Waqf Management-As per Court/Board/Waqfnama by Customs/Scheme of Management

1	**Name of the Chairman of the Mutawalli/Managing Committee**		**Father's name**	
	Aadhar number		**Mobile no**	
	Complete address			
2	**Secretary's name**		**Father's name**	

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

	Aadhar number		**Mobile no**	
	Complete address			
3	**Name of office bearers/members**	**Aadhar number**	**Mobile no**	**Address**
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Note- If the number of members is more, then the list can be attached as above.

II. Property Details- Mosque/Madrasa/Cemetery/Dargah/Mazar/Shop/House/Agriculture/Araji/Bag-Garden/Imambada/Karbala/Takia/Maktab/School/Musafirkhana/Khankah.

1	Account / Khasra / Shop No. / House No. / Other Property No.		
2	Fourteenth	East	
		West	
		North	
		South	
3	Total Area/Area		
4	Present situation	With full details of occupied/encroached/disputed/illegal sale...	
5	Tenant details- Name/Address Tenancy Commencement Date, Present Rent, Contract Deed if any		
6	In case of encroachment, the name and full address of the encroacher, the details of the occupied property, latest photograph with boundary.		
7	Details of the sale deed registered in respect of illegal purchase and sale.		

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

8	Source of income	Agricultural Income / Rent / Annual Contract / Donation / Golak / Interest earned on deposits / other..
9	Valuation of property based on circle rates	
10	Annual gross income from property	
11	Gratuity tax / land tax or any other government payment	
12	GPS of the place where the property is situated. Coordinate-	
13	Details of expenditure incurred in recovery of income and salary and other emoluments of Mutawalli	
14	Total built up area	
15	Details of boundary wall, if to be done, justification	

12. **To identify Waqf-**
Identification point
Famous landmark
Distance from nearest market
Nearest Bank (Private or Government)
Nearest Hospital (Public Health Center/Community Health Center/Government Ayurvedic / Unani)
Nearest Govt School (Primary/Higher Secondary/Intermediate)

S.No.	Identification point	Description
1	Famous landmark	
2	Distance from nearest market	
3	Nearest Bank (Private or Government)	
4	Nearest Hospital (Public Health Center / Community Health Center / Government Ayurvedic / Unani)	
5	Nearest Govt School (Primary/Higher Secondary/Intermediate)	

1- Accusation...

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

Attached - Report / Copy Khatauni / Khasra / Shajra / Latest Photograph / Siteplan

Signature of the Waqf Surveyor

Signature of the Survey Supervisor

Signature of Waqf Survey Officer

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

Form–1

Description of List of Auqaf

1	District		Tahsil
2	Village / Mohalla / Ward-		
3	Type of Waqf -	☐ Sunni ☐ Shia	
4	Waqf Name and Status		
5	Name and address of the apprentice (if any)		
6	Details of waqfnama and certified copy of the deed (if any)		
7	Nature of Waqf	☐ Alal Khair ☐ Al-Aulad	
8	Purpose and Purpose of Waqf-		
9	Property details-		
10	Khata/Khasra/Shop Number/House Number/Other Property Number-		
11	Fourteenth	East	
		West	
		North	
		South	
12	Total area		
13	Present Status Possession Free / Encroached / Disputed / Illegal Sale With Full Details		
14	Source of income		
15	Present Approximate Value of Property Based on Circle Rates		
16	Statement of Annual Income from Property		
17	Any other government payment		
18	Total Annual Gross Income of Waqf		
19	Details of expenditure incurred in recovery of income and salary and other emoluments of Mutawalli		

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm